राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ2(18) / RSLDC / निअसमावि / 2019–20 / 3347 दिनांकः 11/7/23

(एपीजे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम दिशा निर्देश (ASDTP))

1. कार्यक्रम का नामः– एपीजे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ASDTP)
2. उद्देश्यः– अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को विभिन्न ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना।

- उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किए जा सकने वाले ट्रेड/ कोर्सेज निम्न प्रकार हैः–

i. Tourism hospitality and guide
ii. Electrician
iii. Interior Decorations. (domestic and corporate sector)
iv. Security
v. Saloon and makeup (Bride and Groom)
vi. Plumber and Modular Furniture
vii. logistic services
viii. IT and computer (Tally, Land survey)
ix. Chef
x. Food Processing
xi. Food/ Fruit Packaging
xii. Others (As per Requirement of trainees) and (as per decided and at Directorate level)

3. विभागः– अल्पसंख्यक मामलात विभाग

4. **कार्यक्रम की अवधिः–** तीन माह

5. **कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु एजेन्सी का चयन/निर्धारण प्रक्रियाः–**

1. प्रशिक्षण में दक्ष स्वयं सेवी संस्था
2. संस्थान का चयन राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।
3. संस्थान मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. संस्थान को अल्पसंख्यक मामेलात से संबंधित कार्यो का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
5. संस्थान का वार्षिक टर्न ओवर 25 लाख रूपये या अधिक हो।
6. संस्थान द्वारा तीन वर्ष की सीए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

7. संस्थान के पास पैन कार्ड, जीएसटी एवं टिन नम्बर होना अनिवार्य है।
8. संस्थान के पास प्रशिक्षण हेतु संसाधन होने आवश्यक है।
9. संस्थान द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट प्रस्तुत किया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जानी होगी।
10. कुल स्वीकृत अनुमोदित लागत का 5 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. संस्थान का चयन होने के उपरांत 500 रूपये के स्टांप पेपर पर प्रशिक्षण संबंधी शर्तों /निर्देशों को स्वीकारने से संबंधित उल्लेख प्रस्तुत करना होगा।
12. अन्य संबंधित शर्तो EOI के समय उल्लेखानुसार।

6. प्रशिक्षण स्थलः–

1. जिला स्तर पर
2. 25–30 प्रशिक्षार्थी (ट्रेड विशेष में चयनित होने पर ब्लॉक स्तर पर)

7. प्रशिक्षार्थियों की चयन प्रक्रियाः–

1. "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए विभिन्न ट्रेडस के अनुसार प्रशिक्षण उपल्ब्ध कराया जाएगा।

8. प्रशिक्षण हेतु बैच की न्यूनतम संख्याः– 30 प्रशिक्षणार्थी (Block स्तर पर 25–30 तक)

9. प्रशिक्षण में महिलाओं का आरक्षणः–

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत (आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में समस्त महिलाए)
2. महिलाओं के आवेदन कम प्राप्त होने की स्थिति में रिक्त स्थान को पुरूष /युवा प्रशिक्षार्थियों से भरा जा सकेगा।
3. बीपीएल, विधवा, परित्यक्ता एवं एकल महिला को प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी।

10. प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षार्थी से लिया जाने वाला शुल्क :– 100 रूपये प्रति प्रशिक्षार्थी।

11. प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत रोजगारः– कुल प्रशिक्षणार्थियों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत युवकों को रोजगार/स्वरोजगार उपल्ब्ध करवाना आवश्यक है।

12 निरीक्षणः– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिमाह प्रतिप्रशिक्षण केन्द्र के न्यूनतम (02) दो निरीक्षण ।

13. प्रशिक्षण का मूल्यांकनः– प्रायोगिक/लिखित परीक्षा द्वारा (यथा स्थिति की आवश्यकतानुसार)

14 प्रशिक्षण हेतु बजट एवं मदवार व्यय का निर्धारणः–

1. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट(EOI)में उपल्ब्ध कराई गई कार्य योजना में अंकित वित्तीय प्रावधानुसार।
2. अधिकतम व्यय राशि निदेशालय द्वारा निर्धारित अनुसार

15 भुगतान प्रक्रियाः—

1. भुगतान 50: 30: 20: के RATIO में किया जाएगा।
2. प्रशिक्षण आरम्भ होने पर — 50 प्रतिशत
3. प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत— 30 प्रतिशत।
4. 50 प्रतिशत युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध करने की स्थिति में 20 प्रतिशत। (सभी युवाओं को रोजगार हेतु ऑफर प्रस्तुत किया जावे एवं स्वरोजगार करने वाले युवाओं से भी रोजगार का ऑफर स्वीकार नहीं करने की सहमति लिखित में प्राप्त की।)

16. उपयोगिता प्रमाण पत्रः—

1. प्रथम किस्त की शत—प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण—पत्र से (प्रशिक्षण समाप्ति से पूर्व)
2. द्वितीय किस्त के शत—प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण—पत्र से (प्रशिक्षण समाप्ति के 15 दिन में)
3. तृतीय किस्त के उपयोगिता प्रमाण—पत्र— (संस्था द्वारा स्वरोजगार/रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की सूची उपलब्ध करवाने के उपरान्त)

17. प्रशिक्षण संस्था के क्षेत्र—

1.जोधपुर और बीकानेर संभाग के समस्त जिले।

2.निदेशालय द्वारा निर्धारित/आवंटित जिले।

18 एजेन्सी का चयन और निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।

10.07.2023

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक एफ2(18)/RSLDC/निअसमावि/2019–20/3348 दिनांकः 11/7/23

निम्न को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. महाप्रबन्धक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर...।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
7. उप निदेशक–प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके, कार्यालय हाजा।
8. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, कार्यालय हाजा।
9. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी..............................।
10. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालाय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

10/7/2023

(डॉ. एम.ए.खान)
उप निदेशक (पीएमजेवीके)